मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 (विशेष परीक्षा)

के आयोजन की सूचना दिनांक 18.01.2023

ऑनलाइन आवेदन अवधि	प्रवेश-पत्र उपलब्धता अवधि	परीक्षा तिथि
दिनांक 03.02.2023 से दिनांक 22.02.2023 तक	दिनांक 13.03.2023	19.03.2023

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा **2019** हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक **04/2019** दिनांक **14.11.2019** के संदर्भ में **माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णित याचिका क्रमांक 23828/2022, निर्णय दिनांक 29.11.2022 एवं निर्णित याचिका क्रमांक-512/2021, दिनांक 07.04.2022 तथा अन्य संलग्न याचिकाओं के परिपालन में** प्रारंभिक परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम दिनांक **13.01.2023** को घोषित किया गया है । उक्त परीक्षा में सफ़ल आवेदकों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा **2019 (विशेष परीक्षा)** <u>**दिनांक 19.03.2023**</u> **को इंदौर** स्थित परीक्षा **केंद्र** पर निम्नानुसार आयोजित की जाएगी :-

प्रश्नपत्र	विवरण	समय
प्रथम प्रश्नपत्र	**सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारम्भिक गणित, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी आदि**	**प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**
द्वितीय प्रश्नपत्र	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण**	**दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे तक**
प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगें तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR आधारित होगी		

02 **वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु** सफ़ल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा । मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **03.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** से **22.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं। आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/	₹ 800/
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	

03 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक **08.02.2023** से दिनांक **24.02.2023 (दोपहर** 12:00 बजे) तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे । त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकेंगे । त्रुटि सुधार हेतु प्रति **त्रुटि** सुधार सत्र ₹ 50/- (सेवाकर सहित) देय होंगे । जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे राज्य वन सेवा परीक्षा **2019** हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा ।

04 <u>विलम्ब शुल्क सहित आवेदन</u> :- आयोग की यह मान्यता है कि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन भर देंगे । अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **22.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उपस्थित न हो। अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाते हैं तो उनकी सुविधा हेतु अंतिम तिथि के बाद विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन की निम्न व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है :-

1. दिनांक **23.02.2023** से **02.03.2023** तक – ₹ 3000/
2. दिनांक **03.03.2023** से **12.03.2023** तक– ₹ 25000/

विशेष : 1. विलम्ब शुल्क की उपरोक्त राशि के साथ परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान पृथक से देय होगा।

2. ₹ 3000 **विलंब** शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदनों में दिनांक **02.03.2023** तक तथा ₹ 25000 विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्रों में दिनांक **12.03.2023** तक विहित शुल्क का भुगतान कर त्रुटि सुधार किया जा सकेगा ।

05 मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **13.03.2023** से **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे । प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जाएंगे । प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं । कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/– पोर्टल शुल्क देय होगा ।

06 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान–पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :–

1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र		
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय–पत्र				

07 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कही सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगें:–

(1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई, तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

09 राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा **2019** की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य वन सेवा परीक्षा **2019** के विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है ।

सचिव